

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2026	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2025
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
योग:/TOTAL:	--	--
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	4,422.07	5,978.05

बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीए के तहत उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन किया है और 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष तथा कर वर्ष 2026-27 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के पुराने प्रावधानों के अनुसार ही आय पर कर की गणना जारी रखने का विकल्प चुना है।

15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

Bank has evaluated the options available under section 115BAA of Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the taxes on income as per the old provisions of Income Tax Act, 1961 for the quarter and year ended 31st March 2026 and tax year 2026-27.

15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/re-casted wherever considered necessary.

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash Flow from Operating Activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	43734843	38335837
समायोजन/Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	3723395	3112582
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	(90204)	(169972)
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	13626200	16328235
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	8020853	1856098
अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	15102214	16852682
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(3566)	(4085)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	1393200	1390549
गौण ऋण पर ब्याज के एटी-1 (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on AT-1 debts (treated separately)	475000	475000
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(113887)	(86910)
उप-योग/Sub-total	85868048	78090016
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	85868048	78090016
समायोजन/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(44958891)	(13510974)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(439909492)	(347455372)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	3060026	15278748
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	(56279074)	(15238184)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	340203482	304124055
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	6174123	(2162863)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(105841778)	19125426
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash Flow from Investing Activities :		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(5933729)	(3715658)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	1627361	352628
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	113887	86910
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(4192481)	(3276120)

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash Flow from Financing Activities :		
इक्विटी शेयरों का आवंटन/Allotment of Equity Shares	0	5836008
इक्विटी शेयरों के जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम Share Premium on issue of Equity Shares	0	14163991
भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश (शेयर आवेदन राशि में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	0
ईएसपीएस आवेदन धनराशि /Amount of ESPS Application Money	0	0
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	0	0
बेसल-III अनुरूप टियर-2 बॉण्ड्स का निर्गम/Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	0
एटी-1 बांड्स का मोचन / Redemption of AT-1 Bonds	0	0
अपर टियर-2 बांडों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Debts	0	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	(3015000)	43908200
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(4890428)	(3347668)
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(475000)	(475000)
अपर टी-2 ऋण उपकरणों पर दिया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(1393200)	(1390549)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	(9773628)	58694982
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ) Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	(119807887)	74544288

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार गैर- कार्यपालक अध्यक्ष Shri Aravamudan Krishna Kumar Non-Executive Chairman	श्री अश्वनी कुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Ashwani Kumar Managing Director & Chief Executive Officer
श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	श्री विजयकुमार निवृत्ति कांबले कार्यपालक निदेशक Shri Vijaykumar Nivrutti Kamble Executive Director
श्री सुधीर श्याम निदेशक Shri Sudhir Shyam Director	
डॉ. सारदा प्रसन मोहन्ती निदेशक Dr. Sarada Prasan Mohanty Director	श्री राजेश कुमार अलावादी निदेशक Shri Rajesh Kumar Ailawadi Director
श्री सुमित खण्डेलवाल महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Shri Sumit Khandelwal General Manager & Chief Financial Officer	श्री शैलेश नवलखा सहायक महाप्रबंधक Shri Shelesh Navlakha Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata
दिनांक/Dated : 25-04-2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष का एकल नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2026 ₹	31.3.2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2025 ₹
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	(2616039)	(3528782)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ Net increase in Cash & Cash Equivalents (A+B+C+D)	(122423926)	71015506
क्रमशः 1 अप्रैल 2025 और 2024 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2025 & 2024 respectively	361269117	290253611
क्रमशः 31 मार्च 2026 और 2025 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash and Cash Equivalents as on March 31, 2026 & 2025 respectively	238845191	361269117
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	5873965	7168202
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियां/Balance with Reserve Bank of India	97715187	94803520
बैंकों में जमा राशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	257679965	188281890
	361269117	290253612
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	7396903	5873965
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशियां/Balance with Reserve Bank of India	96653732	97715187
बैंकों में जमा राशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	134794556	257679965
	238845191	361269117

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C

For P S M G & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)

भागीदार

एमआरएन 400189

(CA PRABUDHHA GUPTA)

Partner

MRN 400189

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C

FOR P V A R & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

एमआरएन 504134

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner

MRN 504134

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)

भागीदार

एमआरएन 521742

(CA NAKUL MITTAL)

Partner

MRN 521742

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N

For H D S G & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)

भागीदार

एमआरएन 098709

(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)

Partner

MRN 098709

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 25 -04-2026

स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

- प्रधान कार्यालय, 49 जोन, 1 ट्रेजरी शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,
- 1044 शाखाओं (सेवा शाखाओं एवं हब्स को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2455 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 21.83% अग्रिम का, 46.01% जमा का, 22.61% ब्याज आय का तथा 44.23% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

- हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) बैलेंस शीट, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ी जाए तो यह एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2026 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके;

ख) लाभ और हानि खाता, उस पर दिए गए नोटों के साथ पढ़ने पर लाभ का सही संतुलन पता चलता है और

ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण देता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखा-परीक्षण भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षण मानकों (SAs) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन समय-समय पर संशोधित ICAI लेखांकन मानक शामिल हैं। इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षण साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान
अग्रिमों के अंतर्गत खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सैल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपयुक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

हमने आरिस्त वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादन और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षाओं आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपयुक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया स्वचालन की प्रक्रिया को और मजबूत करने की गुंजाइश है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए।

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रुझानों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ।

बैंक की परिचालन एवं वित्तीय प्रक्रियाएँ मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों द्वारा संचालित होती हैं, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में लेनदेन संसाधित किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को प्रमुख लेखा परीक्षण विषय के रूप में चिन्हित किया गया है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं की शुद्धता एवं दक्षता काफी हद तक कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) तथा अन्य सहायक प्रणालियों पर निर्भर करती है।

हमारे लेखा परीक्षण दृष्टिकोण में निवेश, आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान से संबंधित लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए सीबीएस एवं संबंधित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के स्थिर एवं सतत प्रदर्शन पर भरोसा किया गया, जो लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यह भरोसा विविध परिसंपत्तियों एवं विविध देनदारियों के अंतर्गत शेष राशियों के प्रणाली-आधारित सामंजस्य एवं अवधि-विलेपण तथा अन्य संबंधित खातों पर भी लागू होता है।

हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, जिसमें कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) एवं अन्य सहायक अनुप्रयोग शामिल हैं, पर निर्भरता का आकलन किया है, जो उच्च मात्रा वाले लेनदेन एवं वित्तीय प्रतिवेदन गतिविधियों के प्रसंस्करण में सहायक हैं।

हमने प्रासंगिक आईटी नियंत्रणों, जिसमें अनुप्रयोग नियंत्रण एवं अभिगम नियंत्रण शामिल हैं, की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण-आधारित जांच के माध्यम से मूल्यांकन किया है। साथ ही, हमने अनुप्रयोगों में व्यावसायिक नियमों एवं प्रणाली में विन्यस्त तर्क के मध्य सामंजस्य का भी सत्यापन किया है।

तदनुसार, लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेश, आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान से संबंधित लेनदेन के लिए सीबीएस एवं संबंधित प्रणालियों के सतत एवं सुसंगत संचालन पर हमने भरोसा किया है। विविध परिसंपत्तियों एवं विविध देनदारियों के अंतर्गत शेष राशियों के सामंजस्य एवं अवधि-विलेपण सहित अन्य संबंधित खातों से संबंधित प्रणाली-आधारित प्रक्रियाओं पर भी हमारे परीक्षणों के परिणामों के आधार पर भरोसा किया गया है।

5. अन्य बातें

क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 938 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2026 को 43.54% अग्रिम, 46.27% जमा और 81.55% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 26.30%/31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 27.51% शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2026 तक 2455 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 21.89% अग्रिम, 46.01% जमा और 16.30% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 17.79% तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व का 16.98% शामिल हैं।

इस विषयक के संबंध में हमारे मन में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस लेखा परीक्षण प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उक्त अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण त्रुटिपूर्ण विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताने की अपेक्षा होगी।

प्रबंधन तथा गवर्नेंस के प्रभारीजनों का एकल वित्तीय विवरणी के प्रति दायित्व

7. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने में समर्थ हो। इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं।
- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन करने है चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्तकरते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।

- वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, इस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करने है।
 - प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करते हैं तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाते हैं।
 - लेखाकरण के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करने हैं तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
 - प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
9. मैटेरियल होना एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में।
 10. जो गवर्नर्स के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में संपर्क में रहने हैं।
 11. जो गवर्नर्स के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
 12. जो गवर्नर्स के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

13. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
14. उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे सञ्ज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा
 - ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

15. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;

- ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;
- ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।
- घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
16. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार है:
- क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- ग) 31 मार्च, 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2026 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ड) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2026 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता
भागीदार

एमआरएन 400189

यूडीआईएन: 26400189FPZINQ6943

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 015951N

(सीए नकुल मित्तल)
भागीदार

एमआरएन 521742

यूडीआईएन: 26521742FNFOBM5450

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार

एमआरएन 504134

यूडीआईएन: 26504134CCXAKY4477

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)
भागीदार

एमआरएन 098709

यूडीआईएन: 26098709DILQWS6654

Independent Auditors' Report

To
The Members of UCO Bank
Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Financial Statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2026, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:
 - i) The Head Office, 49 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us
 - ii) 1044 branches (including Service branches and Hubs) audited by statutory branch auditors
 - iii) 02 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2455 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 21.89% of advances, 46.01% of deposits, 22.61% of interest income and 44.23% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
 - a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2026;
 - b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit and
 - c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the year ended 31st March 2026. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters**Auditor's Response to Key Audit Matters**

Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances

Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.

The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.

In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.

We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:

We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.

Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank. There is scope for further strengthening the automation process.

Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/ information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc., for determining fair value of these investments;

For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.

We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against;

In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions. There is scope for further strengthening the automation process.

Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process.

The Bank's operational and financial processes are largely driven by IT systems, given the high volume of transactions handled on a daily basis. Consequently, this area has been identified as a Key Audit Matter, since the accuracy and efficiency of these processes significantly depend on the Core Banking Solution (CBS) and other supporting systems.

Our audit approach involved placing reliance on the stable and consistent performance of the CBS and related application software for processing transactions relating to investments, income recognition, asset classification, and provisioning for advances, in accordance with applicable RBI guidelines. This reliance also extends to system-driven reconciliation and ageing of balances under Sundry Assets and Sundry Liabilities, as well as other associated accounts.

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
- Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.
- Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

Based on our audit procedures, we have assessed the Bank's dependence on IT systems, including the Core Banking Solution (CBS) and other allied applications, which support the processing of high-volume transactions and financial reporting activities.

We have evaluated the design, implementation, and operating effectiveness of relevant IT controls, including application and access controls, on a test check basis. We have also verified the alignment between business rules and system-configured logic within the applications.

Accordingly, we have placed reliance on the consistent functioning of the CBS and related systems for transactions pertaining to investments, income recognition, asset classification, and provisioning for advances, in accordance with applicable RBI guidelines. System-driven processes such as reconciliation and ageing of balances under Sundry Assets and Sundry Liabilities, along with other relevant accounts, have also been relied upon based on the results of our testing.

5. Other Matters

- A) These financial statements incorporate the relevant returns of 938 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 43.54% of advances, 46.27% of deposits and 81.55% of non-performing assets as on 31st March 2026 and 26.30%/27.51% of revenue for the quarter ended 31st March, 2026/ for the year ended 31st March 2026. The financial statements/information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.
- B) In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2455 branches cover 21.89% of advances, 46.01% of deposits and 16.30% of Non-Performing assets as on 31st March, 2026 and 17.79%/16.98% of revenue for the quarter ended 31st March, 2026/ for the year ended 31st March 2026.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Information other than the Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Based on the work we have performed on the other information obtained prior to the date of this audit report, if we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this

regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of this financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference to financial statements and the operating effectiveness of such control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
9. Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.
10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

13. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking

Regulation Act, 1949;

14. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
15. We further report that:
- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;
 - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
 - c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
16. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:
- a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
 - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2026, none of the directors is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
 - d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
 - e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2026.

For P S M G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 008567C

(CA PRABUDDHA GUPTA)

Partner
MRN 400189
UDIN: 26400189FPZINQ6943

FOR P V A R & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 005223C

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner
MRN 504134
UDIN: 26504134CCXAKY4477

For SANJAY DEEP & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 015951N

(CA NAKUL MITTAL)

Partner
MRN 521742
UDIN: 26521742FNFOBM5450

For H D S G & ASSOCIATES

Chartered Accountants
FRN 002871N

(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)

Partner
MRN 098709
UDIN: 26098709DILQWS6654

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- अनुबंध- ए
Annexure A to the Independent Auditor's Report

(सम तिथि पर हमारी रिपोर्ट खंड 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

(Referred to in paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

भारतीय रिजर्व बैंक (द 'आरबीआई') के पत्र डीओएस.एआरजी.सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथासंशोधित), (द 'आरबीआई पत्राचार') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग के अतिरिक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट

Report on the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), (the "RBI communication")

1. हमने उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के साथ संयोजक के रूप में 31 मार्च, 2026 तक यूको बैंक ('बैंक') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का लेखापरीक्षा किया है जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

We have audited the Operating Effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of UCO Bank ('the "Bank"') as of 31st March 2026 in conjunction with our audit of the financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Banks branches.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के अतिरिक्त आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने एवं स्थापित करने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल है जिसे बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना एवं निवारण, लेखा संबंधी अभिलेखों की परिशुद्धता एवं पूर्णता सहित इसके कारोबार को व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किया गया तथा बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

The Management of the Bank is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी/Auditor's Responsibility

3. हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन एवं कार्यान्वयन डिजाइन की उपयुक्तता का मूल्यांकन शामिल है।

Our responsibility is to express an opinion on the operating effectiveness of Internal Financial Controls over Financial Reporting of the Bank based on our audit. Our audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting includes an evaluation of the adequacy of the design and implementation of such internal financial controls over financial reporting.

4. हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आरबीआई') द्वारा जारी ('मार्गदर्शन नोट') तथा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग (एसए) के गाइडेंस नोट के अनुसार लेखापरीक्षा किया है जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर किसी सीमा तक प्रयोज्य है। उन मानदंडों एवं गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting operated effectively in all material respects.

5. हमारी लेखापरीक्षा में बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाणन प्राप्त करने हेतु कार्यनिष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया वित्तीय विवरणियों के गलत अनुमान चाहे धोखाधड़ी के हों या गलती से किए गए हों, के जोखिम के मूल्यांकन के साथ वित्तीय विवरणियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करते हैं।

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the operating effectiveness of the internal financial control over financial reporting of the Bank. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमें मिले हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ -

Meaning of internal Financial Controls over Financial Reporting

7. किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लेखा सिद्धांतों पर सामान्यतः स्वीकार्य के अनुसार बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के संबंध में यथोचित आश्वासन देती है। किसी बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल हैं जो- (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जिसमें बैंक की आस्तियों के लेनदेन एवं वृत्तियां में सही और निष्पक्ष रूप से उचित विवरण हों (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वरूप का समय पर पता लगाना या निवारण के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान कराना जिससे वित्तीय विवरणियों के भौतिक प्रभाव का पता लगाया जा सके।

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank, (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank, and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

8. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रज्ञान का दबाव या आपसी सांठगांठ की संभावना या चूक या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं चला हो। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का कोई पूर्वानुमान जोखिम के अधीन है क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा स्थितियों में बदलाव, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अन्य मामले / Other Matters

9. बैंक ने अपने विभागों और परिचालन इकाइयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत अनुपालन की समीक्षा और परीक्षण के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए सलाहकार नियुक्त किया था और गैप- अध्ययन के दौरान आकलित किए गए गैप को कम करने के लिए रिपोर्ट/सुझाव प्रदान किया था। इस संबंध में सलाहकार द्वारा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट दी गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में सलाहकार द्वारा दिए गए रिपोर्ट/सुझावों की प्रबंधन द्वारा सकारात्मक समीक्षा की गई है और बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक सुधार लागू किए गए हैं। हालांकि बैंक की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

Bank had appointed consultant for internal financial controls over financial reporting for review and testing of compliance under internal financial controls over financial reporting for their departments & operational units and provided report/suggestion to mitigate the gap assessed during gap study. In this regard, report has been given by consultant for the year ended 31st March 2026. The report/suggestions given by consultant for internal financial controls over financial reporting has been reviewed by the management positively and necessary improvement has been implemented in the internal financial control system of the Bank. However, there is no impact on the financials of the Bank.

10. हमारी उक्त रिपोर्ट अब तक 1065 शाखाओं हब सहित की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसमें 1044 शाखाओं की लेखा परीक्षा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है और 21 शाखाओं की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई है। 1044 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाने के दौरान हमने उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

Our aforesaid report insofar related to the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 1065 branches including hubs, in which 1044 branches are audited by the branch auditors appointed for this purpose and 21 branches audited by us. While ascertaining the operating effectiveness of Internal Financial Control over Financial Reporting of 1044 branches, we have relied on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

अभिमत/Opinion

11. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे और यह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के बारे में विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है।

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते पी एस एम जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 008567C
For P S M G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008567C

(सीए प्रबुद्ध गुप्ता)

भागीदार

एमआरएन 400189

(CA PRABUDHHA GUPTA)

Partner

MRN 400189

यूडीआईएन/UDIN : 26400189FPZINQ6943

कृते संजय दीप एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 015951N
For SANJAY DEEP & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 015951N

(सीए नकुल मित्तल)

भागीदार

एमआरएन 521742

(CA NAKUL MITTAL)

Partner

MRN 521742

यूडीआईएन/UDIN : 26521742FNFOBM5450

कृते पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 005223C
For P V A R & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 005223C

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

एमआरएन 504134

(CA RUCHI AGARWAL)

Partner

MRN 504134

यूडीआईएन/UDIN : 26504134CCXAKY4477

कृते एच डी एस जी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, एफआरएन 002871N
For H D S G & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 002871N

(सीए विनोद कुमार फतेहपुरिया)

भागीदार

एमआरएन 098709

(CA VINOD KUMAR FATEHPURIA)

Partner

MRN 098709

यूडीआईएन/UDIN : 26098709DILQWS6654

लाभांश वितरण दिशानिर्देश /Dividend Distribution Guidelines

शेयरधारक निम्नलिखित वेबलिनक के माध्यम से बैंक के लाभांश वितरण दिशानिर्देशों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं -

- <https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26>

Shareholders may access the dividend distribution guidelines of the Bank using the following weblink

- <https://uco.bank.in/documents/d/guest/dividend-distribution-guidelines-2025-26>

31 मार्च 2026 की स्थिति में बासेल III प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल III पूंजी नियमन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है। उक्त प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट www.uco.bank.in पर निम्नलिखित वेब-लिनक के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://ucobank.com/basel-iii-disclosures>

BASEL III Disclosure as on 31st March 2026

In accordance with guidelines issued by the Reserve Bank of India on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The said disclosures are available on Bank's website www.uco.bank.in under the following web-link: <https://ucobank.com/basel-iii-disclosures>



यूको बैंक



Scan for E-Annual Report



UCO BANK

Head Office 10, B.T.M. Sarani, Kolkata-700001

यूको बैंक  **UCO BANK**

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust